मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-13

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

बुधवार, दिनांक 21 मार्च, 2007 (फाल्गुन 30, 1928)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.34 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. निधन उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सदस्य विधान सभा, श्री लोकमन खटीक के निधन पर शोकोद्‌गार व्यक्त किये गये।

संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, नेता प्रतिपक्ष श्रीमती जमुना देवी, सदस्यगण श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा, श्री रामलखन शर्मा, श्री हमीद काजी, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा तथा श्रीमती सरोज बच्चन नायक ने भी शोकोद्‌गार व्यक्त किये.

सदन द्वारा दो मिनिट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्तजन के लिये संवेदना प्रकट की गई.

दिवंगतों के सम्मान में विधान सभा की कार्यवाही पूर्वाह्न 10.39 बजे 5 मिनिट के लिए स्थगित होकर 10. 45 बजे पुनः प्रारम्भ हुई।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 16 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 100 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 139 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

3. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) डॉ. सुनीलम्, सदस्य की देवास जिले में शुक्रवारिया हाट परिसर में नियम विरूद्ध व्यवसायिक काम्पलेक्स का निर्माण किये जाने,

(2) श्री सुदामा सिंह, सदस्य की जिला अनूपपुर अंतर्गत जनपद पंचायत राजेन्द्र ग्राम में ओलावृष्टि से खड़ी फसल नष्ट होने,

(3) श्री कैलाश चावला, सदस्य की भोपाल नगर के अंतर्गत रोड क्रमांक-3 की जर्जर हालत होने,

(4) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य की बड़वाह विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सनावद में स्थित पुल-पुलिया रपटा का निर्माण न होने,

(5) श्री पंचूलाल प्रजापति, रीवा जिले के देवतालाब क्षेत्रांतर्गत रामपुर के ग्राम भोथी में बिजली गिरने से 2 महिलाओं एवं 2 बच्चों की मौत होने,

(6) श्री रामदास उईके, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले के विधान सभा क्षेत्र जामई अंतर्गत विकासखण्ड मोहखेड़ के ग्राम मैनीखापा में नल जल योजना से कराये गये बोर धसक जाने,

(7) श्री ताराचंद गोयल (मैकेनिक), सदस्य की तराना विधान सभा क्षेत्रांतर्गत छोटी नदी काली सिंध रूपाखेड़ा घोसला मार्ग का पुल क्षतिग्रस्त होने,

(8) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, सदस्य की म.प्र. के सम्पूर्ण राजमार्ग एवं प्रमुख मार्गों की जर्जर हालत होने,

(9) श्री दीवान सिंह पटेल, सदस्य की बड़वानी जिले के ग्राम निवाली में स्थित आश्रम के ऊपर से विद्युत लाईन तार जोड़े जाने, तथा

(10) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य की रीवा जिले के हनुमना सिंगरौली मार्ग की जर्जर हालत होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री हिम्मत कोठारी, परिवहन मंत्री ने सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 35 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006.

(2) श्री कैलाश विजयवर्गीय, ऊर्जा मंत्री ने विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

(क) क्रमांक 144-मप्रविनिआ-2007, दिनांक 27 जनवरी, 2007,

(ख) क्रमांक 2617-मप्रविनिआ-2006, दिनांक 26 अक्टूबर, 2006, तथा

(ग) शुद्धि पत्र क्रमांक 162-मप्रविनिआ-2007, दिनांक 1 फरवरी, 2007.

(3) श्री गोपाल भार्गव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने वेयर हाउसिंग कारपोरेशन एक्ट, 1962 की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लाजिस्टिक्स कारपोरेशन का तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वर्ष 2005-2006,

पटल पर रखे।

5. ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री हरवंश सिंह, सज्जन सिंह वर्मा, सुखदेव पांसे, सदस्य ने सिवनी जिले के ग्राम जावना में पुलिस गोली चालन से आदिवासी युवक की मौत होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री नागेन्द्र सिंह, राज्यमंत्री, गृह ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री ध्रुवप्रताप सिंह (दीपक भैया), सदस्य ने कटनी जिले की विजयराघवगढ़ तहसील अन्तर्गत बोकारो स्टील प्लांट द्वारा कृषकों से किये गये अनुबंध की शर्तों का पालन न किये जाने की ओर राज्य मंत्री, खनिज साधन का ध्यान आकर्षित किया।

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, राज्यमंत्री, खनिज साधन ने इस पर वक्तव्य दिया।

6. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री लाल सिंह आर्य, सभापति ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

(2) श्री करण सिंह वर्मा, सभापति ने शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का उन्नीसवां, बीसवां एवं इक्कीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री रविन्द्र सुका महाजन, सदस्य की बुरहानपुर जिले के इंदिरा नगर वार्ड में बड़ा नाला बनाये जाने,

(2) श्री हरीवल्लभ शुक्ला, सदस्य की शिवपुरी शहर के कमलागंज क्षेत्र में अवैधानिक देशी शराब की दुकान हटाये जाने,

(3) श्री गोविन्द सिंह पटेल, सदस्य की नरसिंहपुर जिले के -

- (क) ग्राम झांझन खेड़ा में घुटंगों से व्हाया पचामा तक सड़क निर्माण किये जाने,
- (ख) ग्राम तेंदूखेड़ा से पटकुही, सेसाडावर से व्हाया प्रेमपुर खला तक सड़क निर्माण किये जाने, तथा
- (ग) ग्राम बम्होरी कला, पिपरिया कला से सोकलपुर तक सड़क निर्माण किये जाने,

(4) श्री भक्तपाल सिंह, सदस्य की भोपाल जिले के -

- (क) ग्राम शाहपुर में स्थित शासकीय माध्यमिक शाला का उन्नयन कराये जाने, तथा
- (ख) करोंद स्थित शासकीय सरदार पटेल स्कूल का उन्नयन कराये जाने,

(5) श्री दीवान सिंह पटेल, सदस्य की बड़वानी जिले के -

(क) खेतिया नगर से बोकराटा तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(ख) विकासखंड राजपुर में पेयजल समस्या का निराकरण कराये जाने,

(ग) खेतिया नगर से बेहडिया एवं बेहड़िया से भातकी, राखीबुजुर्ग, धावड़ी, रानीपुर तक सड़क मार्ग का पुल-पुलिया सहित डामरीकरण कराये जाने,

(घ) विकास खंड पानसेमल आमदा से कानसुल फाटे, मेट्राना तक पुल सहित सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने,

(ङ) विकासखंड निवाली अन्तर्गत सेंधवा, निवाली, कुसमियां, बरल्यापानी, झटीमाता, बरपाटी, भैंसदड़, भूरापानी तक मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(च) विकासखंड राजपुर के ग्राम पलसूद से काकाभैरव, एकलवारा होते हुए मटली तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने, तथा

(छ) विकासखंड राजपुर के ग्राम दानोद से बिलवानी, मोरानी, भागसुर, बुधरालाछी, खड़की से राजपुर तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(6) डॉ. निशिथ पटेल, सदस्य की कटनी जिले के -

(क) ग्राम खलरी, इमलिया, बहोरीबंद में स्थित माध्यमिक शालाओं का उन्नयन कराये जाने,

(ख) नगर ढीमरखेड़ा में कृषि उप मंडी स्थापित किये जाने,

(ग) बहोरीबंद में रजिस्ट्रार एवं ट्रेजरी कार्यालय की स्थापना कराये जाने, तथा

(घ) बहोरीबंद एवं उमरियापान में स्टेडियम का निर्माण कराये जाने,

(7) श्री रामदास उईके, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले के विकासखंड मोहखेड़ के ग्राम मैनीखापा में 10 बिस्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं होम्योपैथिक अस्पताल का भवन निर्माण कराये जाने, एवं

(8) श्री छत्रपति सिंह, सदस्य की शहडोल जिले के ग्राम बोचरो, कटहन एवं टटियाझर मोहल्ले में विद्युतीकरण कराये जाने,

संबंधी याचिकायें प्रस्तुत हुई मानी गई।

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

. श्री रमाकांत तिवारी, पशुपालन मंत्री ने मध्यप्रदेश गौ-सेवा आयोग विधेयक, 2007 (क्रमांक 6 सन् 2007) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

9. वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(1) सुश्री कुसुम सिंह, महिला एवं बाल विकास विभाग की मांगों पर पुनर्ग्रहित चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष ने अपना भाषण पूर्ण किया।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

सुश्री कुसुम सिंह, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया, पर्यटन मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 37	पर्यटन के लिए चौरासी करोड़, अड़सठ लाख, उनतीस हजार रूपये,तथा
अनुदान संख्या - 43	खेल और युवक कल्याण के लिए उन्नीस करोड़, अड़सठ लाख, पचहत्तर हजार रूपये,

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 37	1,3,5
मांग संख्या - 43	1,2,3,4,5

मांगों और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर
(2) श्री उमाशंकर गुप्ता

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(3) श्री अर्जुन पलिया
(4) श्री आरिफ अकील
(5) श्री ध्यानेन्द्र सिंह
(6) श्री रामलखन शर्मा
(7) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा

सभापति महोदय (श्री इन्द्रजीत कुमार) पीठासीन हुए.

(8) श्री गोविन्द सिंह राजपूत
(9) श्री नरेश दिवाकर
(10) श्री सुखदेव पांसे

(11) श्री लाल सिंह आर्य

(12) श्रीमती अर्चना चिटनिस

(13) डॉ. निशिथ पटेल

(14) श्री बृजमोहन धूत

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया, पर्यटन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(3) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, स्कूल शिक्षा मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 27	स्कूल शिक्षा (प्रारम्भिक शिक्षा) के लिए अठारह सौ तिहत्तर करोड़, आठ लाख, छह हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 28	राज्य विधान-मंडल के लिए सत्ताईस करोड़, इकसठ लाख, बीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 29	विधि और विधायी कार्य के लिए दो सौ सोलह करोड़, इक्यानवे लाख, छब्बीस हजार रूपये, तथा
अनुदान संख्या - 77	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) के लिए चार सौ इकसठ करोड़, सात लाख, सैंतीस हजार रूपये,

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 27	4,5

मांगों और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री इन्द्रजीत कुमार

(2) श्री लाल सिंह आर्य

(3) श्री रामलखन शर्मा

(4) डॉ. गोविन्द सिंह

(5) श्री गिरिजा शंकर शर्मा

(6) श्री अर्जुन पलिया
(7) श्री गिरिराज मण्डलोई
(8) श्री गोविन्द सिंह राजपूत
(9) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा
(10) श्री राजवर्धन सिंह
(11) श्रीमती सरोज बच्चन नायक
(12) श्री बहादुर सिंह चौहान
(13) श्री सुखदेव पांसे
(14) श्री दुर्गालाल विजय
(15) श्री अंतर सिंह दरबार
(16) श्री ताराचंद बावरिया
(17) श्री मेहरबान सिंह रावत

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, स्कूल शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(4) चौधरी चन्द्रभान सिंह, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास के लिए दो सौ तिरासी करोड़, बासठ लाख, इक्कीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 54	कृषि, अनुसंधान एवं शिक्षा के लिए छियालीस करोड़, निन्यानवे लाख, छियालीस हजार रूपये, तथा
अनुदान संख्या - 78	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण के लिए चालीस करोड़, पचानवे लाख, पचास हजार रूपये,

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 13	3,6
मांग संख्या - 78	3

मांगों और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(1) श्री सत्यदेव कटारे

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(2) श्री ओमप्रकाश सखलेचा
(3) श्री रामलखन शर्मा
(4) श्री राजवर्धन सिंह
(5) श्री गोविन्द सिंह पटेल
(6) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल
(7) श्री दिलीप भटेरे
(8) श्री दिलीप सिंह परिहार
(9) डॉ. गोविन्द सिंह
(10) श्री बृजमोहन धूत

चौधरी चन्द्रभान सिंह, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(5) श्री रमाकांत तिवारी, पशुपालन मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 14 पशुपालन के लिए दो सौ छब्बीस करोड़, तीन लाख, बहत्तर हजार रूपये, तक की राशि दी जाय।

मांग पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 14	2,4

मांग और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने अपना भाषण पूर्ण किया।

श्री रमाकांत तिवारी, पशुपालन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांग का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(6) कुंवर विजय शाह, आदिम जाति कल्याण मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 33	आदिम जाति कल्याण के लिए पांच सौ आठ करोड़, उन्तीस लाख, तिरानवे हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के लिए सत्रह सौ चार करोड़, सोलह लाख, इक्यावन हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 44	उच्च शिक्षा के लिए तीन सौ उनासी करोड़, बयासी लाख, छियासी हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 47	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए एक सौ चौंतीस करोड़, चौरासी लाख, इक्कीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 56	ग्रामोद्योग के लिए तीस करोड़, अठहत्तर लाख, छियानवे हजार रूपये, तथा
अनुदान संख्या - 70	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं के लिए चौबीस करोड़, बाईस लाख, दस हजार रूपये,

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 33	3,4
मांग संख्या - 41	3,4
मांग संख्या - 44	1,5,8
मांग संख्या - 47	1,2,5
मांग संख्या - 56	2
मांग संख्या - 70	1

मांगों और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री गोविन्द सिंह राजपूत

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(2) श्रीमती शशि ठाकुर

(3) श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा

(4) श्री रामलखन शर्मा

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(5) श्री सत्यदेव कटारे

(6) श्री शिवराज शाह
(7) श्रीमती सरोज बच्चन नायक
(8) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा
(9) श्री धूल सिंह
(10) श्री शिव प्रसाद राठौर
(11) श्री ओमप्रकाश सखलेचा

कुंवर विजय शाह, आदिम जाति कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(7) श्री जगदीश देवड़ा, श्रम मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 18	श्रम के लिए इक्यावन करोड़, चवालीस लाख, चौहत्तर हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के लिए चार सौ बाईस करोड़, अड़सठ लाख, दो हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 49	अनुसूचित जाति कल्याण के लिए उनचास करोड़, उन्नीस लाख, नब्बे हजार रूपये, तथा
अनुदान संख्या - 64	अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए बारह सौ बयासी करोड़, छिहत्तर लाख, पैंतालीस हजार रूपये,

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 20	3

मांगों और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री गोविन्द सिंह राजपूत

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(2) श्री लाल सिंह आर्य
(3) श्री रामलखन शर्मा

(4) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा
(5) श्री लाखन सिंह बघेल
(6) श्री बहादुर सिंह चौहान
(7) श्री सत्यदेव कटारे
(8) श्री दुर्गालाल विजय
(9) डॉ. गोविन्द सिंह
(10) श्री ताराचंद बावरिया
(11) डॉ. नारायण परमार
(12) श्री इन्द्रजीत कुमार
(13) श्री ओमप्रकाश सखलेचा

श्री जगदीश देवड़ा, श्रम मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

09 बजकर 58 मिनिट पर विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 22 मार्च, 2007 (चैत्र 1, 1929) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.